रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2015/कार्तिक 21, 1937
No. 697] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2015/KARTIKA 21, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 852(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 18) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद में निदेशक के पद के लिए निम्नलिखित नियम, विनियम, भर्ती की पद्धति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निदेशक, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (भर्ती, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** - (1) - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से राष्ट्रीय डिजाइन अधिनियम, 2014 (2014 का 18) अभिप्रेत है ;

(ख) 'अध्यक्ष' से राष्ट्रीय डिजाइन की शासी परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) 'निदेशक' से राष्ट्रीय डिजाइन का निदेशक अभिप्रेत है ;

(घ) 'संस्थान' से राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अभिप्रेत है ;

(ङ) 'चयन समिति' से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु राष्ट्रीय डिजाइन अधिनियम, 2014 में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. निदेशक की नियुक्ति के लिए शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव, आदि-- कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि उसके पास -

(क) इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या डिजाइन में मास्टर डिग्री नहीं है ;

(ख) उसके पास अध्यापन या उद्योग या अनुसंधान में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव होना चाहिए ;

(ग) उसके पास प्रौद्योगिकी या डिजाइन के क्षेत्र में राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अभिज्ञता में किए गए महत्वपूर्ण योगदान का सिद्ध अभिलेख होना चाहिए ।

4. नियुक्ति की पद्धति-- (1) निदेशक के पद पर भर्ती केंद्रीय सरकार द्वारा गठित चयन समिति द्वारा की जाएगी ।

(2) चयन समिति निदेशक के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए इसकी अपनी प्रकिया का अनुसरण करेगी ।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे वृयक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, सक्षम प्राधिकारी से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. पदावधि- निदेशक उस तारीख से, जब वह पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

8. पद त्याग और समाप्ति- (1) निदेशक यदि अपना पद त्यागना चाहता है तो अध्यक्ष को लिखित रूप में तीन मास पूर्व नोटिस देगा :

परंतु जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा शीघ्र पद त्याग अनुज्ञात नहीं किया जाता है, तब तक निदेशक नोटिस की अवधि के अवसान तक या सम्यक् रूप से नियुक्त उसका प्राधिकारी पद ग्रहण नहीं करता है या उसकी पदावधि के अवसान तक, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार किसी व्यक्ति को निदेशक के पद से हटा सकेगी, यदि-

(क) उसे दिवालिया घोषित किया गया है ; या

(ख) उसे किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या

(ग) वह शारीरिक या मानसिक रूप से निदेशक के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो ; या

(घ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त किए हों, जो निदेशक के रूप में उसके कृत्यों पर संभाव्य प्रतिकूल प्रभाव डालते हों ; या

(ङ.) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है, जिससे कि उसका अपने पद पर बने रहना लोक हित के प्रतिकूल हो गया है, या

(च) कदाचार, दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर :

परंतु निदेशक को उसके पद से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किसी समिति द्वारा जांच करवाए बिना खंड (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी आधार पर नहीं हटाया जाएगा।

9. **मुख्यालय या तैनाती का स्थान** – निदेशक का मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात में होगा।

10. **निदेशक का वेतन, भत्ते, इत्यादि-** निदेशक, पीबी-4, 37400-67000 रु. जमा ग्रेड वेतन 10000 रु. और ऐसे भत्तों और अन्य प्रसुविधाओं का हकदार होगा, जो केन्द्रीय सरकार के समान ग्रेड वेतन में किसी अधिकारी को अनुज्ञेय है:

परन्तु यदि निदेशक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति पेंशन, उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक अभिदाय के रूप में कोई सेवानिवृति प्रसुविधाएं या सेवानिवृति प्रसुविधाओं के अन्य रूप, प्राप्त करता है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार बना है तो ऐसे निदेशक के वेतन में से पेंशन की सकल रकम या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक का अभिदाय या सेवानिवृति प्रसुविधाओं का कोई अन्य रूप, यदि कोई (उपदान के समान पेंशन के सिवाय) उसके द्वारा आहृत किया गया है या आहृत किया जाना है, घटाया जाएगा:

परन्तु यह और कि निदेशक की नियुक्ति के पश्चात न तो वेतन और भत्तों में और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उसके अहितकर रूप में परिवर्तन किया जाएगा।

11. **यात्रा भत्ता-** निदेशक, प्रवास पर या स्थानांतरण के दौरान (जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में पदभार ग्रहण करने के लिए की गई यात्रा या राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में उसकी पदावधि की समाप्ति पर अपने गृह नगर प्रस्थान करने के लिए) यात्रा भत्ते इत्यादि का वैसे ही हकदार होगा, जैसे केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू होंगे।

12. **छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी-** अध्यक्ष, निदेशक की छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी होगा।

13. विदेश में सरकारी यात्राएं- निदेशक द्वारा विदेश में सरकारी यात्राएं केवल अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों के अनुसार और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से की जाएगी, और वह ऐसी यात्रा के संबंध में ऐसे भत्ते, ऐसी दरों पर आहृत करने का हकदार होगा जैसे केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को लागू हैं।

14. **चिकित्सा उपचार हेतु सुविधाएं-** निदेशक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में यथाउपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और ऐसे स्थानों में जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रचालन में नहीं है, वहां निदेशक केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1954 में यथाउपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा।

15. **आवास-** निदेशक केन्द्रीय सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथा लागू निवासी आवास का हकदार होगा।

16. **वाहन की सुविधा-** निदेशक, भारत सरकार के समान स्तर के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय वाहन सुविधा का हकदार होगा।

[फा. सं. 5/24/2013-आईपीआर-V]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव